भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

**राज्य सभा**

**तारांकित प्रश्न संख्या \*381**

(जिसका उत्तर 03 अप्रैल, 2018/13 चैत्र, 1940 (शक) को दिया जाना है)

**कॉरपोरेटों द्वारा ऋण की गैर-अदायगी**

381. श्री रीताब्रता बनर्जीः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि देश के कतिपय सर्वाधिक बड़े कॉरपोरेट घरानों द्वारा ऋण की अदायगी न किया जाना अत्यधिक अनर्जक आस्तियों के संचित होने का एक प्रमुख कारण हैं;

(ख) यदि हां, तो अदायगी नहीं किए गए ऋणों का कॉरपोरेट घराना-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन ऋणों के पुनर्भुगतान हेतु क्या-क्या उपाय अपनाए जा रहे हैं?

**उत्तर**

वित्त मंत्री (श्री अरुण जेटली)

**(क) से (ग):** एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

\*\*\*\*\*

**‘‘कॉरपोरेटों द्वारा ऋण की गैर-अदायगी” के संबंध में श्री रीताब्रता बनर्जी द्वारा पूछे गए 03 अप्रैल, 2018 के राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या \*381 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।**

**(क) से (ग):** आरबीआई ने कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) अधिनियम की धारा 45ड. के अनुसार, ऋण संबंधी सूचना का प्रकटीकरण निषिद्ध है। धारा 45ड. में यह उपबंध किया गया है कि किसी बैंक द्वारा प्रस्तुत की गई ऋण संबंधी सूचना को गोपनीय माना जाएगा और इसे न तो प्रकाशित किया जाएगा और न ही किसी अन्य प्रकार से प्रकट किया जाएगा।

ऋणों के पुनर्भुगतान/समाधान को सुरक्षित बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। दबावग्रस्त आस्तियों के समयबद्ध समाधान के लिए दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 को अधिनियमित किया गया है। इसके अतिरिक्त, संहिता के अंतर्गत दिवालियापन समाधान प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए बैंकों को निदेश जारी करने हेतु सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को प्राधिकार प्रदान करने के लिए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 को संशोधित किया गया है। इस संशोधनकारी विधान के उपबंधों के अंतर्गत आरबीआई ने 5000 करोड़ रुपए से अधिक बकाया राशि वाले और दिनांक 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार 60% या उससे अधिक अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत 12 खातों के विरुद्ध दिवालियापन कार्रवाई आरंभ करने के लिए कुछेक बैंकों को निदेश जारी किए हैं। इन निदेशों के अनुसार, बैंकों ने राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के समक्ष इन खातों के संबंध में आवेदन दायर किए हैं। इसके अतिरिक्त, संहिता के अधिनियमन को ध्यान में रखते हुए, आरबीआई ने दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए हाल ही में एक संशोधित संरचना जारी की है, जिनमें अधिक मूल्य वाले दबावग्रस्त खातों के समयबद्ध समाधान के लिए प्रावधान किया गया है।

अधिक प्रभावकारी बनाने के लिए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम को संशोधित किया गया है। इसके अतिरिक्त, वसूली के प्रयासों में तेजी लाने के लिए छ: नए ऋण वसूली अधिकरण स्थापित किए गए हैं।

इसके अलावा, पीएसबी सुधार एजेंडा के अंतर्गत, पीएसबी सख्ती से वसूली तथा बड़े ऋण एक्सपोजरों के संबंध में अनुमोदन पश्चात विशेषीकृत निगरानी एजेंसियों के माध्यम से पारदर्शी एवं प्रभावी जांच सुनिश्चित करने हेतु दबावग्रस्त आस्ति प्रबंधन वर्टिकल्स बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

\*\*\*